सार-समाचार

रीको इंड्रस्टियल क्षेत्र आज तक भी सड़क के लिए महरूम

छबड़ा (निसं)। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत द्वारा छबड़ा में घोषित किए रीको इंड्रस्टियल क्षेत्र आज तक भी सडक के लिए महरूम हैं। जिससे व्यापारियों व किसानों को काफी परेषानी झेलनी पड रही हैं। लघु उद्योग भारती द्वारा अखिल भारतीय अध्यक्ष को पत्र प्रेशित कर रीको क्षेत्र में सीसी सड़क निर्माण की मांग की हैं। अध्यक्ष रामचंद्र धनोरिया ने बताया कि वर्श 1980 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भेरोसिंह शेखावत द्वारा छबड़ा में रीको इन्ड्रस्टियल क्षेत्र घोषित किया गया था। जिसमें 40 भूखण्ड लघु उद्यमियों को आवंटित किए गए थे, चूंकि छबडा क्षेत्र की अधिकांश आबादी कृषि से जुडी हुई है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है तथा छबड़ा में अ श्रेणी की कृषि उपज मण्डी होने से दूर-दूर से किसान यहां माल लाकर बेचते है। रीको इंड्रस्टियल एरिये में अधिकांश कृषि आधारित उद्योग लगे हुए है तथा व्यापारी छबड़ा मण्डी से कृषि जिंस गेहूं, धनिया, मक्का आदि खरीद कर रीको में स्थापित उद्योगों पर लाकर कृषि जिंसों की ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग एवं पैकिंग करके देश के अन्य भागों में बैचते है। परन्तु रीको इन्ड्रस्टियल एरिया घोषित होने के 43 वर्ष बाद भी यहां कच्चा रास्ता होने के कारण वर्शा के दिनों में पानी भरने एवं कीचड़ हो जाने के कारण आवागमन बंद हो जाता है तथा ट्रक-ट्रेक्टर आदि वाहन नहीं जाने के कारण सभी उद्योग बंद हो जाते है, जिस कारण व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है तथा हजारों मजदूर जो कि इन उद्योगों से जुडे हुए है वे भी बेरोजगार हो जाते है तथा उनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए इस इन्ड्रस्टियल एरिये में सीसी पक्की सड़क का निर्माण करवाया जाए जिससे उद्योगधंधे पूरे वर्षभर चलते रहे एवं मजदूरों व व्यापारियों को आर्थिक हानि उठानी नहीं पड़े।

रामगंजमंडी में भव्य मंगल प्रवेश आज

रामगंजमण्डी, (निसं)। पर्यावरण संरक्षक आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज का संघ सहित रामगंजमंडी नगर में 19 मार्च बुधवार की प्रात: बेला में मंगल आगमन होगा। आचार्य का संघ सहित बुधवार की प्रात: बेला में मोड़क से रामगंजमंडी हेतु मंगल विहार होगा। नगर की सीमा में प्रवेश होने पर थाना चौराहा पर आचार्य की समाजबंधुओं द्वारा मंगल आगवानी की जाएगी। उन्हें बैंड-बाजा के साथ श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लाया जाएगा। जहां आचार्य श्री संघ सहित शांतिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे तथा दर्शन उपरांत आचार्य धर्मसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पूर्व मंगलवार की संध्या बेला में रामगंजमंडी समाज की ओर से संरक्षक अजीत सेठी, अध्यक्ष दिलीप विनायका, उपाध्यक्ष चेतन बागड़िया, प्रकाश विनायका, रमेश विनायका, सुदेश रावका, नितिन जैन सबदरा व अभिषेक लुहाड़िया आदि ने मोड़क ग्राम पहुंचकर आचार्य के चरणों में समाज की ओर से श्रीफल भेंट कर रामगंजमंडी आगमन हेतु निवेदन किया। जिस पर गुरुदेव ने रामगंजमंडी नगर को स्वीकृति प्रदान करते हुए मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। इससे पूर्व आचार्य का मंगल आगमन नगर में 25 दिसंबर 2024 को हुआ था। मंगलवार की प्रात: बेला में आचार्य का कोटा से मंगल विहार करते हुए मोड़क ग्राम में मंगल आगमन हुआ एवं मांगलिक भवन का लोकार्पण भी आचार्य के सानिध्य में भक्ति उल्लास के साथ संपन्न हुआ। साथ ही मंगलवार की संध्या बेला में मांगलिक भवन में ही आचार्य के सानिध्य में आनंद यात्रा संपन्न हुई।

गांजा तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए गांजा तस्करी के मामले में गांजा तस्कर को भीलवाड़ा से डिटेन कर गिरफ्तार किया है। दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि 4 मार्च को जवाहर नगर पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए 4 किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो आरोपी उमेश जोशी और धनराज मेघवाल को गिरफ्तार किया था। दादाबाड़ी थानाधिकारी ने बताया कि प्रकरण में पकड़े गये दोनों तस्करों से अनुसंधान किया गया। पकड़े गये आरोपियों ने अनुसंधान में अवैध मादक पदार्थ गांजा रावर्दा थाना बेगूं जिला चितौड़गढ़ के निवासी जगदीश हजुरी उर्फ कालू से खरीदना बताया। थानाधिकारी ने बताया कि जगदीश हजुरी की तलाश की गई और टीम द्वारा काफी मेहनत के बाद गांजा तस्कर जगदीश हजुरी उर्फ कालू को भीलवाड़ा से डिटेन कर थाने लाया गया और प्रकरण में अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान किया जा रहा है।

ओशो आशीष ध्यान केंद्र का होगा निर्माण

छबड़ा (निसं)। अमीरपुरखेडी, आश्रम (भुवाखेडी) के निकट ओशो आशीष ध्यान केंद्र का चैत्र नवरात्रि में भूमि पूजन किया जाएगा। अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र के संस्थापक शंकरलाल नागर के अनुसार ओशो का मानना है कि ध्यान सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो नई विचार और कल्पनाएँ उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्ति को अधिक सृजनात्मक बनाती हैं। वर्तमान में जीना, ओशो ध्यान को वर्तमान में जीने का एक तरीका मानते हैं। यह व्यक्ति को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है और उसे वर्तमान क्षण का आनंद लेने में मदद करता है। आध्यात्मिक विकास, ध्यान आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति को अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने में मदद करता है और उसे एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई गंभीर काम नहीं है। यह आनंदपूर्ण हो सकता है जो की अनंत रचनात्मकता को उजागर करता है। इसी उद्देष्य से ओशो आशीष ध्यान केंद्र का षुभारंभ किया जाएगा।

मधुमक्खियों के हमले कई शिकार हुए

छबड़ा (निसं)। कस्बे के आजाद सर्किल के निकट मंगलवार दोपहर बाद उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एकाएक रूप सें मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में कई राहगीर, दुकानदार षिकार हो गए। बचने के लिए दुकानदार इधर-उधर भागते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शी दीपक सुमन ने बताया कि आजाद सर्किल के निकट दोपहर 12 बजे मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इससे यहां भगदड़ मच गई। बचने के लिए दुकानदार व राहगीर इधर-उधर भागने लगे। चीखने-चिल्लाने लगे। यहां लगभग एक घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। किसी ने जमीन पर लेटकर तो किसी ने कपडे से खुद को ढककर बचाया। फिर भी कई लोग हमले के शिकार हो गए।

चिकित्सा शिविर 19 मार्च को

कोटा, (निसं)। राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय तलवंडी में 19 मार्च को प्रात: 10 से दोपहर 2 बजे तक शालक्य तंत्र विभाग द्वारा नि:शुल्क नेत्र रोग परामर्श एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। उप अधीक्षक ने बताया कि शिविर में नेत्र से संबंधित रोग जैसे आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों में खुजली होना, जलन होना, सूखापन, आंखों से पानी आना व लाल होना एवं मोतियाबिंद आदि रोगों का चिकित्सकीय परामर्श विशेषज्ञों डॉ. श्याम स्वरूप मीणा एवं डॉ. संगीता बाला द्वारा प्रदान किया जाएगा एवं आयुर्वेदीय क्रियाकलाप जैसे तर्पण, नेत्र प्रक्षालन, पिण्डी, विडालक आश्च्योतन आदि द्वारा उपचार किया जाएगा।

जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित सेवाएं दो दिन बंद रहेंगी

कोटा, (निसं)। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निर्देशानुसार जिले के समस्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रारों (जन्म-मृत्यु) द्वारा पहचान पोर्टल को भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर पर 20 एवं 21 मार्च को माइग्रेट किया जाना है। संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग आर.एन. मालव ने बताया कि माइग्रेट कारण जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित समस्त सेवाएं उक्त दो दिवस के लिए पूर्णतया बन्द रहेगी एवं जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे।

पेयजल आपूर्ति समय परिवर्तित

छबड़ा (निसं)। कस्बे मे पेयजल सप्लाई का समय मे परिवर्तन किया जाएगा। बुधवार को सुबह छह बजे से की जाएगी। सहायक अभियंता करिश्मा जंगम के अनुसार ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए आम जनता को पर्याप्त दबाव व पर्याप्त मात्रा में पेयजल पहुंचाने के लिए पेयजल सप्लाई के समय मे आवश्यक परिवर्तन आज से किया जा रहा है, अब पेयजल सप्लाई सुबह छह बजे से की जाएगी।

आईसीएआर मोदीपुरम एवं श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र कोटा के बीच एमओयू

कोटा, (निसं)। आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ के निदेशक डॉ सुनील कुमार एवं श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र कोटा के निदेशक ताराचन्द गोयल की उपस्थिति में मोदीपुरम स्थित प्रागंण में मंगलवार को एमओयू साइन हुआ।

आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ द्वारा श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र कोटा के साथ अनुसंधान, प्रसार एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रयास किया जायेगा। साथ ही इस एमओयू के तहत एक दूसरे के सहयोग से जैविक कृषि के सन्दर्भ में कृषि की प्राचीन, पारम्परिक एवं बहुप्रचलित विधियों पर अनुसंधान एवं प्रसार कार्यों को आधुनिक तकनीकियों के अनुरूप सामंजस्य बैठाकर प्रकृति के संरक्षण संग गुणवत्तायुक्त कृषि द्वारा किसानों की समृद्धि हेतु आवश्यक संसाधनों (अनुसंधान केन्द्र, प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण भवन आवास) का सदुपयोग कर शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार के नवीन आयाम स्थापित कर छात्रों, कृषकों व हितधारकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया जायेगा।

आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम एवं श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र कोटा के बीच एमओयू हुआ।

इसकी क्रियान्विति हेतु भिन्न-भिन्न स्वरूप में संयुक्त प्रयास किया जायेगा। यह समझौता 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि यह समझोता सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए हितकारी बनेगा, इस दिशा मे हम एक दूसरे से मिल कर प्रयास करेंगे, वहीं श्री तारा चंद गोयल ने कहा कि गो आधारित जैविक कृषि से किसानों की उत्पादन लागत कम हुई है और गुणवत्ता भी बेहतरीन मिलती है।

साथ ही श्री गोयल ने बताया कि इस कार्य मे आईसीएआर -के संस्थान का सहयोग मिलने से गो आधारित कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर श्री कृष्ण मुरारी अखिल भारतीय बीज प्रमुख, भारतीय किसान संघ के साथ मोदीपुरम संस्थान के मुख्य डॉ. एन. रविशंकर, डॉ टी पी स्वर्मं, डॉ आर पी मिश्रा, श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र कोटा के मुख्य वैज्ञानिक पवन के. टाक आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद डॉ एन रवि शंकर ने सभी को संस्थान का अवलोकन करवाया।

कोटा में 308 वकील नही कर पायेंगे कोर्ट में पैरवी

कोटा, (निसं)। बार कॉसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर राजस्थान बार कॉसिल के आदेश के बाद कोटा में करीब 308 वकील न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर पायेंगे वह किसी भी मामले की पैरवी नही कर सकते उन्हे डीबीआर कर दिया गया है। ऐसे वकीलों की सूची को अभिभाषक परिषद की ओर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है।

कई वकील सूची मे अपना नाम तलाश करते हुए दिखे। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने बताया कि ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने 1 जुलाई 2010 के बाद एल.एल.बी की परीक्षा पास कर ली हैं, और बार कॉसिंल में एडवोकेट के रूप में अपना पंजीयन कराने के बाद दो साल के अंदर ऑल इंडिया बार एसोसिऐशन एग्जाम (एआईबीई) की परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। ऐसे सभी अधिवक्ताओं को वकील के रूप में उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई हैं।

मंगलम महिला मण्डल वेलफेयर सोसायटी ने आर्थिक सहायता प्रदान की

मंगलम महिला मंडल द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

रामगंजमण्डी, (निसं)। मोड़क मंगलम महिला मण्डल वेलफेयर सोसायटी ने अध्यक्षा विभा सचान व संयुक्त अध्यक्षा शशी मंडोत के नेतृत्व सामाजिक सरोकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए शीला बाई पत्नी रामलाल हरिजन महावीर कॉलोनी मोड़क गांव निवासी को एक आंख की रोशनी चली जाने पर उसके इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं राजवंती पत्नी राधेश्याम मोड़क निवासी को भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उक्त जानकारी देते हुए मंडल की पीआरओ ने बताया कि इस मौके पर कमेटी की सभी सदस्याएं भी मौजूद थी।

67 ग्राम अफीम सहित तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों टीम कोटा व प्रतापगढ़ के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 67 ग्राम मादक पदार्थ अफीम सहित तस्कर को गिरफ्तार किया साथ ही 120 लेन्चड सीपीएस पोस्ता कैप्सूल और 94 डंठल सीपीएस अफीम के पौधे बिना कैप्सूल के बरामद किये है। यह कार्यवाही उपनारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर रोक लगाने के लिये टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। उपनारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा सीपीएस लाईसेंस के तहत अवैध रूप से सीपीएस पोस्त कैप्सूल की लॉचिंग करने की सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम (सीबीएन) कोटा एवं प्रतापगढ़ सेल के अधिकारियों को लेकर टीम गठित की गई, और मामले की पुष्टि करने के लिये गंधेर, तहसील और जिला प्रतापगढ़ भेजा गया। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मामले की पुष्टि होने के बाद टीम ने कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा और तलाशी के दौरान 67 ग्राम अफीम, 120 लेन्चड सीपीएस पोस्त कैप्सूल और बिना कैप्सूल के सीपीएस अफीम के पौधे के 94 डंठल बरामद किये।

अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक

कोटा, (निसं)। अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए शीघ्र मोबाइल ऐप विकसित किया जाए, जिससे आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और उन पर त्वरित कार्रवाई हो सके। उन्होंने नगर निगम, केडीए और गैस अथॉरिटी को निर्देश दिए कि सड़कों की खुदाई से संबंधित कार्यों को मैप पर चिन्हित कर प्रस्तुत किया जाए।

1873 किलो घी-तेल सीज, 5 नमूने लिए

कोटा, (निसं)। कोटा प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कामयाब कोटा व राज्य में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एंड हेल्थ गायत्री राठौर, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एच गुइटे के मार्गदर्शन व जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी कोटा के निर्देशन में एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.नरेंद्र नागर के नेतृत्व में होली के त्यौहार के बाद शादियों के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा लगातार फील्ड में सक्रिय रहकर निरिक्षण व नमूनीकरण की कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार बजरंग नगर स्थित एक तेल, घी विक्रेता का निरीक्षण करने पर वहां विभिन्न ब्रांड के घी व तेल का विक्रय किया जा रहा था जो कि बाजार भाव से कम भाव में था मौके पर 15 टिन में (प्रत्येक में 15 किलो) कुल 225 किलो फिटर्ड मूंगफली का तेल बीकानेरी सिक्का, 34 टिन (प्रत्येक में 15 किलो) कुल 510 किलो रिफाइंड मूंगफली का तेल पार्वती पोस्टमेन ब्रांड, 6 कार्टन में रखा (प्रत्येक में 12 किलो) कुल 72 किलो कच्ची घाणी सरसों का तेल श्री पार्वती स्वास्तिक ब्रांड, 36 टिन (प्रत्येक में 15 किलो) व 12 कार्टन (प्रत्येक में 16 किलो) कुल 732 किलो डबल फिल्टर्ड मूंगफली का तेल श्री पार्वती स्वास्तिक ब्रांड,17 कार्टन में रखा 259 किलो, 5 टिन में रखा 75 किलो कुल 334 किलो घी श्री पार्वती अमोल ब्रांड का सीज करते हुए प्रत्येक ब्रांड का एक एक नमूना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के तहत लिए गये।

घी तेल विक्रेता ने समस्त खाद्य सामग्री अजमेर स्थित श्री पार्वती आयल व ईसकी विभिन्न सहायक कम्पनी से खरीदना बताया साथ मूल पैक ब्रांड पर अजमेर स्थित श्री पार्वती ऑयल का पता अंकित था। मौके पर कुल 1873 किलो घी तेल सीज करते हुए 5 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गये। लिए गये कुल 5 नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाया गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी इस कार्यवाही में अधिकारी संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादोन,खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोजी लाल कुम्भकार समिलित रहे।

NAME CHANGE

I, SWATI PAREEK, residing at 511, Shastri Nagar, Dadabari, Kota (Rajasthan), do hereby declare that I have changed my name from SWATI BAWA to SWATI PAREEK. Henceforth, I shall be known and recognized by my new name for all legal and official purposes

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-3
स्थान कोटा (राज.)

केलाश कारवानी विरुद्ध कमलेश जैन

बाबत वाद वास्ते प्राप्त करने
रकम मूल 35,00,000/-
वाद सं. : CS 3 सन् 2022

- बनाम -

1. कमलेश जैन पुत्र लालचन्द जैन जाति ....
2. सुशीला जैन पत्नी कमलेश चंद

स्थान- म.नं. 2-डी-30, 31, आकाश विहार, शुभम गार्डन के पास, बोरखेड़ा, कोटा (राज.)

वादी ने आपके विरुद्ध प्राप्त करने रकम के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 11 माह 04 सन् 2025 को दिन में 10 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यह आज तारीख 15 माह 03 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मुद्रा

न्यायालय के आदेश से
रीडर शहरितेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम-3 कोटा (राज.)

जे.के.फैक्ट्री मजदूरों का धरना जारी

कोटा, (निसं)। जे.के. फैक्ट्री के मजदूरों के धरने को चलते हुए 29 दिन हो गए लेकिन अभी तक राजस्थान कि बीजेपी सरकार को जे.के. मजदूरों का दर्द नजर नहीं आ रहा है।

जेके फैक्ट्री के मजदूरों के कलेक्ट्री पर चल रहे धरने पर मंगलवार को कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने धरने का समर्थन किया ओर धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि जेके उद्योग के 4200 मजदूरों के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरने पर बैठे है।

कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने जेके फैक्ट्री के धरने का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि सरकार को जेके फैक्ट्री के मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान करना होगा, ओर कोटा जिले के विकास के लिए जेके फैक्ट्री को वापस सरकार को चालू करना पड़ेगा। अगर राजस्थान कि बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द लागु नहीं किया तो आने वाले दिनों मे कोटा कलेक्टर के गेट के सामन आमजन को साथ लेकर जेके फैक्ट्री के मजदूरों के अनिश्चितकालीन धरने को मजबूत करके सरकार को झुकने के लिये मजबूर करेंगे।

29वें दिन धरने को संचालक कामरेड हबीब खान, कामरेड नरेंद्रसिंह, कामरेड उमाशंकर, निर्माण मजदूर यूनियन सीटू इटावा महामंत्री व सीटू राज्य कमेटी सदस्य कामरेड मुरारीलाल बैरवा, जनवादी महिला समिति जिला अध्यक्ष कामरेड रजनी शर्मा, रोडवेज यूनियन के साथी कामरेड जाकिर हुसैन, एडवोकेट ममता वर्मा, हेमलता जंगम, महिला नेता कामरेड पुष्पा खींची, कामरेड कामरेड अली मोहम्मद, कामरेड गोपाल शर्मा, कालीचरण, माकपा इटावा पिपल्दा सचिव कामरेड मुकुटबिहारी जंगम आदि मजदूर नेताओं ने सम्बोधित किया।

तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर 16 चालान काटे

कोटा, (निसं)। सीएमएचओ डॉ नरेन्द्र नागर के निर्देश पर तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और एमबीएस अधीक्षक की टीम ने कार्रवाई कर 16 चालान काटे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100915 **लोक सूचना** दि.18.03.2025

श्री GOPAL पुत्र श्री KISHAN LAL जाति GURJAR निवासी 9 MANDIR AREA, ARJUNPURA, ARJUNPURA KOTA, RAJASTHAN-324002 श्री DHANNA LAL पुत्र श्री KISHAN LAL जाति GURJAR निवासी 9 MANDIR AREA, ARJUNPURA, ARJUNPURA KOTA, RAJASTHAN-324002 श्री BHOJRAJ पुत्र श्री KISHAN LAL जाति GURJAR निवासी 9 MANDIR AREA, ARJUNPURA, ARJUNPURA KOTA, RAJASTHAN-324002 ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	अर्जुनपुरा, लाडपुरा (कोटा)	(1) GOPAL S/O KISHAN LAL HI. 1/3 (2) DHANNA LAL S/O KISHAN LAL HI. 1/3 (3) BHOJRAJ S/O KISHAN LAL HI. 1/3 CASTE- GURJAR, SA DEH KHATEDAR	574	8600	0.86
			कुल		0.86

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18/3/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100916 **लोक सूचना** दि.18.03.2025

श्री RADHIKA ASSOCIATE JARIYE PARTNER AJAY KHANDELWAL पुत्र श्री BANSHIDHAR KHANDELWAL जाति MAHAJAN निवासी A-7 SWARN VIHAR PRATHAM KUNHADI KOTA श्री RADHIKA ASSOCIATE JARIYE PARTNER BHANWAR SINGH RANAWAT पुत्र श्री RAMCHANDRA SINGH RANAWAT जाति RAJPOOT निवासी A-7 SWARN VIHAR PRATHAM KUNHADI KOTA श्री RADHIKA ASSOCIATE JARIYE PARTNER UMMED SINGH BUNDELA पुत्र श्री VINOD SINGH BUNDELA जाति RAJPOOT निवासी A-7 SWARN VIHAR PRATHAM KUNHADI KOTA श्री RADHIKA ASSOCIATE JARIYE PARTNER VIJAY SINGH RANAWAT पुत्र श्री RAMCHANDRA SINGH RANAWAT जाति RAJPOOT निवासी A-7 SWARN VIHAR PRATHAM KUNHADI KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बालिता, लाडपुरा (कोटा)	SUNITA SHUKLA W/O NARENDRA SHUKLA CASTE- BRAHMAN NIWASI BALITA ROAD KUNHADI KHATEDAR	979/235	1950	0.195
2.	बालिता, लाडपुरा (कोटा)	JITENDRA KUMAR S/O GOVINDRAM CASTE- SINDHI NIWASI DADABARI KOTA KHATEDAR	980/235	1950	0.195
3.	बालिता, लाडपुरा (कोटा)	HAPPY ASSOCIATES SAKATPURA KOTA JARIYE PARTNER RAMESH KUMAR S/O GOVINDRAM CASTE-SINDHI NIWASI HOUSE NO.111 DADABARI VISTAR KOTA RAJ.KHATEDAR	981/235	1600	0.16
4.	बालिता, लाडपुरा (कोटा)	HAPPY ASSOCIATES SAKATPURA KOTA JARIYE PARTNER DIGVIJAY NATH SHUKLA S/O DAYANAND NIRALA CASTE- BRAHMAN NIWASI KUNHADI KHATEDAR	982/235	1600	0.16
			कुल		0.71

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18/03/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/1229 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 18.03.2025

नगर विकास न्यास कोटा की योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी व्यावसायिक भूखंड संख्या 26 को आवंटन/ न्यास के पत्र क्रमांक 320 दिनांक 09.01.2023 को श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री मोहन लाल मीणा को आवंटन किया गया था। उक्त भूखंड की विक्रय स्वीकृति जर्ये मुख्तारआम श्री नन्दीश सोनी पुत्र स्व. श्री बाल किशन सोनी द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस विक्रय स्वीकृति में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 26 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी व्यावसायिक की विक्रय स्वीकृति श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री मोहन लाल मीणा जर्ये मुख्तारआम श्री नन्दीश सोनी पुत्र स्व. श्री बाल किशन सोनी के नाम जारी कर दी जायेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/1147 दिनांक:-6.3.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना केशवपुरा-9 भूखंड संख्या 584 का आवंटन पत्र क्रमांक 117 दिनांक 28.03.1985 को श्री मांगी लाल पुत्र श्री भँवर लाल के नाम आवंटन किया गया था। श्री मांगी लाल पुत्र श्री भँवर लाल की मृत्यु दिनांक 30.12.2018 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री मांगी लाल पुत्र श्री भँवर लाल के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, विधिक वारिसान शपथ पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. श्री मांगी लाल द्वारा उक्त भूखंड संख्या 584 अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 584 योजना केशवपुरा-9 का नामहस्तान्तरण श्री हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. श्री मांगी लाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/3757 **विज्ञप्ति** दिनांक:-18.03.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बोरखेडा में स्थित कृषि भूमि योजना पार्वती रेजीडेन्सी भूखंड संख्या 29 खसरा नं. 99 आवेदक/आवेदिका श्रीमती पूनम पंचोली पत्नी श्री अखिल कुमार निवासी म.नं. 5-जे-23 तलवण्डी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 1139 दिनांक 03.09.2018 को श्री दलजीत सिंह आनन्द पुत्र स्व. श्री हरभजन सिंह एवं शैलेन्द्र कृपलानी पुत्र स्व. श्री केवल राम के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी शैलेन्द्र कृपलानी एवं दलजीत सिंह जर्ये मुख्तारआम शैलेन्द्र कृपलानी पुत्र श्री केवलराम द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2020 को द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती पूनम पंचोली पत्नी श्री अखिल कुमार के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द./उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/18914-15 दिनांक: 18.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री महेश तिवारी निवासी भूखंड संख्या 7-डी-19 महावीर नगर तृतीय योजना कोटा दक्षिण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 7-डी-19 महावीर नगर तृतीय योजना कोटा क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखंड संख्या 7-डी-19 महावीर नगर तृतीय योजना कोटा क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत कोटा के पत्र क्रमांक/केम्प-कोटा/1301 दिनांक 23.12.1994 को श्रीमती चन्दा देवी पाठक पत्नी श्री श्याम सुन्दर पाठक को जारी किया गया है। श्रीमती चन्दा देवी की मृत्यु दिनांक 10.10.2006 को व उनके पति श्री श्याम सुन्दर पाठक की मृत्यु दिनांक 13.07.2024 को हो जाने के उपरांत उनके जीवित विधिक वारिसान 1. श्री दीपक पाठक पुत्र श्री श्याम सुन्दर पाठक 2. श्रीमती रेखा पुरोहित पुत्री श्री श्याम सुन्दर पाठक द्वारा पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 23.03.2024 से उक्त भूखंड में निहित अपना हिस्सा श्री श्याम सुन्दर पाठक पुत्र श्री पंचमलाल पाठक के पक्ष में त्याग कर दिया गया है। श्री श्याम सुन्दर पाठक द्वारा पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 28.05.2024 से उक्त भूखंड का दान अपनी पुत्रवधु श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री महेश तिवारी के पक्ष में कर दिया गया है। उक्त भूखंड संख्या 7-डी-19 महावीर नगर तृतीय योजना आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4694 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 5.3.25

आवास संख्या 1-च-3 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रतन चन्द मालू पुत्र श्री भवानी लाल मालू को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री रतन चन्द मालू पुत्र श्री भवानी लाल मालू द्वारा दिनांक 30.08.1990 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रतन चन्द मालू पुत्र श्री भवानी लाल मालू की मृत्यु दिनांक 11.12.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री आशा मालू पत्नी स्व. श्री रतन चन्द मालू, महेन्द्र कुमार मालू पुत्र स्व. श्री रतन चन्द मालू एवं श्रीमती मन्जू मलिक पुत्री स्व. श्री रतन चन्द मालू पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार मलिक द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्सों का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 23.04.2024 को श्री वीरेन्द्र कुमार मालू पुत्र स्व. श्री रतन चन्द मालू के पक्ष में किया गया। श्री वीरेन्द्र कुमार मालू पुत्र स्व. श्री रतन चन्द मालू द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-च-3 दादाबाड़ी कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री वीरेन्द्र कुमार मालू पुत्र स्व. श्री रतन चन्द मालू के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री वीरेन्द्र कुमार मालू पुत्र स्व. श्री रतन चन्द मालू के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री वीरेन्द्र कुमार मालू पुत्र स्व. श्री रतन चन्द मालू के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल के. पाटन जिला बून्दी (राज.)

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका के. पाटन

क्रमांक:-4309-11 लोक सूचना दिनांक-18.3.2025

श्री धनवीर आ. रतिराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 6 ईश्वरनगर तहसील के. पाटन बून्दी (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्र
के. पाटन जिला बून्दी	ईश्वरनगर	1064/599 रकबा 0.12 है. 599/ 1 रकबा 0.09 है.	केशवराय पाटन

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18.03.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका के. पाटन